[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-॥, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 18 मार्च, 2015

सा.का.नि. (अ). - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 173, धारा 175, धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 184, धारा 185, धारा 186, धारा 187, धारा 188, धारा 189 तथा धारा 191 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2015 है।
 - (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- 2. कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 में
 - (क) नियम, 8 में
 - (i) मद संख्या (3), मद संख्या (5), मद संख्या (6), मद संख्या (7), मद संख्या (8) और मद संख्या (9) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए।

[फा.सं. 1/32/2013-्सीएल-٧-पार्ट]

अभरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. 240(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-॥, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 398(अ) तारीख 12 जून, 2014 और सा.का.नि. 590(अ) तारीख 14 अगस्त, 2014 द्वारा इनका संशोधन किया गया।

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2015

G.S.R. ____(E).—In exercise of the powers conferred under sections 173, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 189 and section 191 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Meetings of Board and its Powers) Amendment Rules, 2015.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014,
 - (a) in rule 8,
 - (i) item numbers (3), (5), (6), (7), (8) and (9) and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (b) in rule 10, in the proviso, for the word 'principle', the word 'principal' shall be substituted.

[F. No. 1/32/2013-CL-V-Part]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 240(E), dated the 31st March, 2014 and was subsequently amended vide notification number G.S.R. 398(E), dated the 12th June, 2014 and number G.S.R. 590(E), dated the 14th August, 2014.